

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान डाडासीबा, तहसील डाडासीबा, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के
छात्र कल्याण निधि का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 4/2011 से 3/2016

भाग—एक

1. गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन :—

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही के अवलोकनोपरान्त नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से पाई गई:—

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2011

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. पैरा संख्या 3 | निर्णीत (पत्र संख्या : फिन(एल0ए0)एच0(2)सी0(15)(14)290 / 11
खण्ड—1—3546, दिनांक 3.5.2012 के द्वारा) |
| 2. पैरा संख्या 4(i)(ii) | निर्णीत (—यथोपरि—) |
| 3. पैरा संख्या 5 | अंशतः (यथोपरि द्वारा— आवेदकों के आवेदन पत्रों की पुष्टि की
निर्णीत जानी है) |
| 4. पैरा संख्या 6 | निर्णीत (—यथोपरि द्वारा—) |
| 5. पैरा संख्या 7 | अनिर्णीत |
| 6. पैरा संख्या 8 | अनिर्णीत |
| 7. पैरा संख्या 9 | निर्णीत (रसीदों की भण्डार पंजिका में प्रविष्टि की पुष्टि कर ली
गई है) |
| 8. पैरा संख्या 10 | निर्णीत (पत्र संख्या : फिन(एल0ए0)एच0(2)सी0(15)(14)290 / 11
खण्ड—1—3546, दिनांक 3.5.2012 के द्वारा) |
| 9. पैरा संख्या 11 | अनिर्णीत |
| 10. पैरा संख्या 12 | अनिर्णीत |
| 11. पैरा संख्या 13 | निर्णीत (—यथोपरि द्वारा—) |

भाग—दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :—

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान डाडासीबा के वर्तमान अवधि 1.4.2011 से 31.3.2016 के निधि लेखों का अंकेक्षण सर्वश्री जितेन्द्र सिंह अनुभाग अधिकारी तथा जीवन कुमार कनिष्ठ लेखा

परीक्षक द्वारा दिनांक 19.5.2016 से 28.5.2016 तक डाडासीबा में किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए हैं; विस्तृत जांच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया है।

आय :- 8/2011, 8/2012, 8/2013, 3/2015, 7/2015

व्यय :- 6/2011, 6/2012, 8/2013, 10/2014, 3/2016

प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। प्रधानाचार्य द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत सूचना एवं सूचना न प्रदान के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।

वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रधानाचार्य आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में संस्थान में कार्यरत रहे हैं:-

क्र० सं०	आहरण एवं वितरण अधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्री डी०एन० पटियाल	1.4.2011 से 3.8.2013
2.	श्री कुलदीप सिंह	4.8.2013 से 31.10.2015
3.	श्री महिन्द्र सिंह	1.11.2015 से 31.3.2016

3. अंकेक्षण शुल्क :-

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान डाडासीबा जिला कांगड़ा के वर्तमान निधि लेखों अवधि 4/2011 से 3/2016 का अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर ₹14400 बनता है, जिसे रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला-171009 को भेजने हेतु संस्थान के प्रधानाचार्य से अनुभाग अधिकारी के पत्र क्रमांक : 117/2016, दिनांक 28.5.2016 द्वारा अनुरोध किया गया। प्रधानाचार्य द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि कांगड़ा सैन्ट्रल को-ओपरेटिव बैंक शाखा डाडासीबा के ड्राफ्ट संख्या : 803864, दिनांक 30.5.2016 द्वारा भेज दी गई है।

4. वित्तीय स्थिति :-

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था डाडासीबा के छात्र कल्याण निधियों की अवधि 4/2011 से 3/2016 की वित्तीय स्थिति परिशिष्ट-(क 1 से 5) पर संलग्न है। दिनांक 31.3.2016 को छात्र कल्याण निधियों की रोकड़ वही एवं बैंक में जमा राशि के अनुसार अन्तिम शेष तथा उनमें पाए गए अन्तर के कारण का विवरण परिशिष्ट-“ख” पर संलग्न है। संस्थान द्वारा ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेंट निधि के अतिरिक्त समस्त निधियों का रख-रखाव एक ही रोकड़ वही में किया गया है तथा ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेंट निधि की रोकड़ वही का रख-रखाव अलग से किया गया है।

5. छात्र कल्याण निधि से वार्षिक परीक्षाओं हेतु जारी राशि ₹1431 को वापिस न लेने बारे:—

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण डाडासीबा द्वारा छात्रों की वार्षिक परीक्षाओं के आयोजन के लिए छात्र कल्याण निधि से राशि ऊधार जारी की गई, जिसकी प्रतिपूर्ति हिमाचल प्रदेश तकनीकी बोर्ड द्वारा की जानी है। जांच में पाया गया कि निम्नानुसार दर्शाए गए विवरण के अनुसार ₹1431 की प्रतिपूर्ति अभी शेष है, जिसे प्राप्त करने के उपरान्त अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

दिनांक	राशि जारी की गई (व्यय)	प्राप्ति	शेष
7.8.2014	404	—	404
1.9.2014	560	—	964
3.12.2014	—	964	—
4.2.2015	—	1500	(—)1500
7.3.2015	1854	—	354
23.4.2015	—	354	—
23.4.2015	—	2070	(—)2070
9.6.2015	2070	—	—
15.7.2015	—	3640	(—)3640
15.7.2015	—	1280	(—)4920
16.7.2015	—	800	(—)5720
18.8.2015	4920	—	(—)800
18.8.2015	2150	—	1350
27.1.2016	—	1500	(—)150
3.3.2016	2931	—	2781
9.3.2016	—	800	1981
9.3.2016	800	—	2781
18.3.2016	—	1350	1431

6. छात्र कल्याण निधि से कर्मचारियों को भुगतान किए गए वेतन बारे :—

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान डाडासीबा द्वारा छात्र कल्याण निधि से आऊट सोर्सिंग के आधार पर रखे गए कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया गया। वेतन का भुगतान सरकारी

शीर्ष में बजट न होने के कारण किया गया है, जिसकी प्रतिपूर्ति छात्र कल्याण निधि में बजट प्राप्त होने के उपरान्त की जा रही है, परन्तु दिनांक 31.3.2016 को ₹11120 की प्रतिपूर्ति शेष है। अतः उक्त राशि की प्रतिपूर्ति करने के उपरान्त अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

अवधि	भुगतान की गई राशि (व्यय)	प्राप्ति	शेष
दिनांक 31.3.2011 तक प्राप्ति हेतु राशि			155188
4/2011 से 11/2011	31748	30000	156936
12/2011 से 7/2013	104391	261000	327
5/2015 से 3/2016	117517	106724	11120

7. प्रवेश तथा शिक्षण शुल्क फीस ₹20800 के बारे में :-

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान डाडासीबा में निम्न विवरणानुसार दर्शाए गए मासों में अन्य समस्त निधियों की छात्रों से वसूली कर ली गई है, परन्तु उनसे प्रवेश शुल्क तथा शिक्षण शुल्क की वसूली नहीं की गई। प्रधानाचार्य द्वारा बताया गया कि इस अवधि में छात्रों का चयन अन्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा करने के उपरान्त उन्हें इस संस्थान में भेजा गया था तथा प्रवेश तथा शिक्षण शुल्क फीस की वसूली चयन करने वाली संस्थाओं द्वारा की गई है, परन्तु इस बारे कोई भी अभिलेख अंकक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः यदि प्रवेश तथा शिक्षण शुल्क फीस छात्रों से वसूल कर ली गई है, तो उसे राजकोष में जमा करवाने के मूल चालान आगामी अंकक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत करने सुनिश्चित किए जाएं।

मास	छात्र सं०	प्रवेश शुल्क (₹200 प्रति छात्र)	शिक्षण शुल्क (₹2400 प्रति छात्र)	योग
8/2011	40	8000	9600	10400
8/2013	40	8000	9600	10400
			योग	₹20800

8. छात्रों का चयन करने के उपरान्त अन्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को भेजी गए ₹26700 के बारे में :-

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान डाडासीबा द्वारा छात्रों का चयन करने के उपरान्त अन्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को भेजने के फलस्वरूप निम्नानुसार चयनित छात्रों से वसूल की गई शिक्षण शुल्क तथा अन्य निधियों की राशि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को भेजी गई, परन्तु संस्थान द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से पावती प्राप्त नहीं की गई, जिसे अब प्राप्त करके अनुपालना से अवगत करवाया जाए।

दिनांक	संस्थान का नाम	शुल्क/निधि की राशि
22.11.2011	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नैहरनपुखर	7020
8.1.2012	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान धर्मशाला	7020
1.10.2013	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गरनोटा	4220
1.10.2013	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नैहरनपुखर	4220
1.10.2013	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान धर्मशाला	2110
2.12.2013	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नूरपुर	2110
योग		₹26700

9. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना :-

जांच में पाया गया कि अवधि 1.4.2011 से 31.3.2016 के दौरान छात्र कल्याण निधियों से विभिन्न प्रायोजनों हेतु अग्रिम दिए गए हैं, लेकिन अग्रिम रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है। अतः उक्त अवधि का अग्रिम रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व तुरन्त प्रभाव से अग्रिम रजिस्टर तैयार किया जाए व सत्यापना हेतु आगामी अंकेंक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

10. सावधि जमा निवेश रजिस्टर (fixed Deposit Register) तैयार न करना :-

जांच में पाया गया कि छात्र कल्याण निधि से सावधि जमा योजना के अन्तर्गत निवेशित राशि का निवेश रजिस्टर तैयार नहीं किया गया। अतः उक्त अवधि का निवेश रजिस्टर तैयार न करने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा निवेश रजिस्टर तैयार किया जाए व सत्यापना हेतु आगामी अंकेंक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

11. भण्डार रजिस्ट्रों का नियमानुसार रख-रखाव न करना :-

अंकेंक्षण में पाया गया कि विद्यालय द्वारा निधियों से खरीदी गई वस्तुओं की उपभोज्य एवं अनुपभोज्य (Consumable and non-consumable) रजिस्ट्रों के अलग-अलग खाते तैयार करके नहीं किया गया, अपितु एक ही पृष्ठ पर विभिन्न वस्तुओं की स्टॉक प्रविष्टियां की गई जोकि अनुचित है; अतः सम्बन्धित रजिस्ट्रों में प्रत्येक मद का अलग-अलग खाता तैयार करके सभी मदों को उनके खाते में हस्तान्तरित करके बकाया मात्रा दर्शाई जाए तथा की गई कार्यवाही की सत्यापना आगामी अंकेंक्षण में करवाई जाए।

12. भौतिक सत्यापन बारे :-

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान डाडासीबा में छात्र कल्याण निधियों से खरीदे गए स्थाई व अस्थायी सामान का भौतिक सत्यापन नहीं करवाया गया है। नियमानुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में कमेटी गठित करने के उपरान्त छात्र कल्याण निधियों के भण्डार में पड़े शेष सामान का भौतिक

सत्यापन करवाया जाना अनिवार्य है। अतः अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान भौतिक सत्यापन न करने के कारण स्पष्ट किए जाएं व आगामी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में भौतिक सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13. लघु आपत्ति विवरणिका :- यह अलग से जारी नहीं की गई है।

14. निष्कर्ष :- लेखों के रख-रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/-
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

पृष्ठांकन सं० :फिन(एल०ए०)एच(2)सी(15)(14)-290 / 11,खण्ड-1-5064-5066, दिनांक: 20.09. 2016, शिमला-171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

- पंजीकृत**
1. प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान डाडासीबा, तहसील डाडासीबा, जिला कांगड़ा हि०प्र० को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।
 2. सचिव, तकनीकी शिक्षा, हि० प्र० सरकार शिमला-2.
 3. निदेशक, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण हि०प्र० सुंदरनगर, जिला मण्डी हि०प्र०

हस्ता/-
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.